अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

विविध अपील वाद सं० 01 आर० 15/ —17—18

61
02.12.2022

बुधवा उरॉव पिता स्व० प्रभु उरॉव

निवासी ग्राम सपारोम, थाना नगड़ी, जिला रॉची .... अपीलकर्त्ता

बनाम

लखना उरॉव पिता स्व० चुंदा उरॉव

निवासी ग्राम सपारोम, थाना नगड़ी, जिला रॉची .... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता ने लगानवाद उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा परमिशन वाद सं० 3807 आर० 8 ।।/2014—15 मे दिनांक 18.12. 2015 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान लगानवाद उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची ने उत्तरवादी को मौजा सपारोम, थाना सं० 137 के खाता सं०42, प्लॉट सं० 1966 रकबा 50 डी० भूमि को खरीददार नरेन्द्र कुमार उरॉव पिता बन्धना उरॉव, निवासी ग्राम सपारोम, थाना नगडी, जिला रॉची के पक्ष मे हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

विगत तिथि को पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्त्ता की ओर से इस वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। आज भी पुनः पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्त्ता विगत कई तिथियों से इस अपील वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। इस न्यायालय द्वारा उन्हे उपस्थित हो कर बहस करने हेतु अनेक बार चेतावनी जारी की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता को अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

नही रह गया है। अतः यह अपील पैरवी के अभाव मे खारिज किया जाता है।

इस आदेश की प्रति लगानवाद उपसमाहर्त्ता, सदर रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.31 15:19:17 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d